मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्र.एफ 15–06/09/सा/19 भोपाल,दिनांक 23/09/2009

प्रति,

समस्त कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग,
मध्यप्रदेश ।

विषय :--शासकीय भवन एवं भूमि के अंतरण बाबत् ।

प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर भवन एवं भूमि के रूप में स्थित शासकीय संपत्ति को प्रायः शासकीय अभिलेखों में लोक निर्माण विभाग के आधिपत्य अथवा निगरानी में दर्शाया जाता है । इन संपत्तियों का अवैध अंतरण न हो यह सुनिश्चित करना सभी अधिकारी/कर्मचारीगण का दायित्व है ।

ऐसी संपत्ति के निजी व्यक्तियों के पक्ष में नामांतरण के मामले में अनापत्ति जारी करना प्रथम दृष्ट्या उक्त संपत्ति के अवैध अंतरण में संलिप्तता दर्शाता है क्योंकि किसी भी अधिकारी को इस प्रकार की अनापत्ति जारी करने की अधिकारिता नहीं है । इस संबंध में पूर्व में भी निर्देश प्रसारित किये गये हैं ।

अतः भविष्य में किसी भी प्राधिकारी द्वारा ऐसा कोई भी अनापत्ति प्रमाण–पत्र चाहे जाने पर स्वयं के स्तर से कार्रवाई न करते हुए प्रकरण शासन को संदर्भित किया जाए ।

(जे.के.जैन)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग

पृ.क्र..एफ 15–06/09/सा/19 भोपाल,दिनांक 23/09/2009

प्रतिलिपि :–

1. स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव/सचिव लो.नि.वि.मंत्रालय भोपाल ।
2. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग,मध्यप्रदेश भोपाल ।
3. समस्त मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश ।
4. समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश ।
5. समस्त जिला अधिकारी, मध्यप्रदेश ।

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग